मुख्य अभियंता–2,(गया) का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

पत्रांक– मु0अ0–2/निविदा–09–393/25 – 1865
प्रेषक,

पटना, दिनांक– 20.09.25

ई0 अनिल कुमार,
मुख्य अभियंता–2, (गया)
ग्रामीण कार्य विभाग,

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, गया।

विषयः– ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवादा के अधीन शीर्ष MMGSY(Awsesh-Gen) अन्तर्गत पैकेज संख्या–**MMGSY (Awsesh-Gen)-Nawada-87** (टेन्डर आई0डी0–142591) का पथ निर्माण एवं **छः वर्षीय अनुरक्षण** कार्य में निविदा के वित्तीय बीड के संबंध में।

प्रसंगः– अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, गया का पत्रांक 2038 अनु0 दिनांक–18.09.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचित किया जाता है कि ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवादा के अधीन शीर्ष **MMGSY(Awsesh-Gen)** अन्तर्गत पैकेज संख्या– **MMGSY (Awsesh-Gen)-Nawada-87** (टेन्डर आई0डी0–142591) का पथ निर्माण एवं छः वर्षीय अनुरक्षण कार्य आपके एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवादा के अनुशंसा पर सफल न्यूनतम दर निविदाकार **Harsh Construction (Bid ID-623837)** को उनके द्वारा उद्धृत दर परिमाण विपत्र की दर/राशि से –20.70 (बीस दशमलव सात शून्य) प्रतिशत कम पर अर्थात 95,63,804 (पंचानवे लाख तिरसठ हजार आठ सौ चार) रूपये मात्र पर आवंटित किया जाता है।

2. निविदा की स्वीकृति सिर्फ इसी कार्य के लिए है, जो भविष्य में पूर्वाधारण नहीं होगा।
3. संवेदक के द्वारा निविदा के साथ अग्रधन के रूप में जमा किये गये राशि एवं एकरारनामा के लिए जमा की गई बैंक गारन्टी का सत्यापन कराकर प्रमंडलीय कार्यालय में अभिलेखित किया जायेगा।
4. Bid Validity की वैधता की जाँच के उपरान्त ही एकरारनामा सुनिश्चित किया जाय।
5. एकरारनामा के पूर्व निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसार सभी वांछित कागजातों की अद्यतन स्वच्छ एवं सत्यापित प्रति निश्चित रूप से प्राप्त कर लिया जाय एवं साथ में इसकी भी जाँच कर ली जाय की संवेदक का नाम डीबार/काली सूची में सम्मिलित नही है।
6. अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता अग्रेतर कार्रवाई से पूर्व भली भाँति आश्वस्त हो लेगें कि पथ का हस्तांतरण हेतु विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है।
7. कार्य में व्यवहृत सामग्रियों का दर प्राक्कलन में स्वीकृत लीड के आधार पर दिया गया है, कार्य कराते समय अगर इसमें कमी पाई जाती है तो उसके दर में सापेक्ष कमी कर दी जायेगी।
8. इस कार्य के संबंध में ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्रावैधिक स्वीकृति तथा निविदा आमंत्रण सूचना में उल्लिखित शर्त एकरारनामा का भाग होगा, जिसे विशेष शर्त में जोड़कर संवेदक के साथ एकरारनामा किया जायेगा।
9. अनुमोदित किये गये तुलनात्मक विवरणी के प्रत्येक बिन्दु की जाँच अपने स्तर से स्वंय कर लेगें एवं त्रुटि पाये जाने की स्थिति में वस्तुस्थिति से तत्क्षण अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे। त्रुटि के सुधारोपरान्त एकरारनामा की कार्रवाई की जायेगी।
10. एकरारनामा के समय प्रत्येक मद के भाषा की शुद्धता की जांच कार्यपालक अभियंता स्वयं कर लेंगे एवं यह सुनिश्चित करेगें कि इसमें कोई त्रुटि न हो।
11. कार्यारम्भ के पूर्व कार्यपालक अभियंता कार्य स्थल के निरीक्षणोपरान्त स्थल की स्थिति एवं प्राक्कलन में किये गये उपबंध से पूरी तरह आश्वस्त हो लेंगे एवं प्रशासनिक स्वीकृति तथा प्रावैधिक स्वीकृति के अग्रसारण प्रारूप में दिये गये निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।
12. कार्यादेश निर्गत करने से पहले संबंधित सवेदक से एकारारित अवधि के अन्दर कार्य समाप्त करने हेतु विस्तृत मदवार कार्य प्रोग्राम प्राप्त कर ही एकरारनामा किया जाय।

Harsh Construction
Sanjita Kumari
Proprietor

Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division, Nawada